Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to appoint judges against vacant post in High Courts in the country.

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा): सभापति महोदय, देश के उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है। क्या कारण है कि विभिन्न हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में जजों के पद अभी रिक्त हैं। ये कब तक भरे जाएंगे?

विधि और न्याय विभाग के बजट में कमी के कारण राज्य सरकारें भी जिला जजों की नियुक्ति करती थीं, वह भी नहीं हो पा रही है।

क्या केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सिद्धांत एक्सिस टू जस्टिस के तहत राज्यों को जजों की नियुक्ति हेतु अतिरिक्त बजट सहायता करने हेतु विचार कर रही है, यदि हां तो ब्योरा देने का कष्ट करें। यदि नहीं तो कारण बताएं, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।